

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 4 () परावि/ पी.सी /नि.रा.यो./2012-13/1595 जयपुर, दिनांक : 07-11-2012


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त।

विषय :- पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित निर्बंध राशि के उपयोग के क्रम में।

प्रसंग :- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4 () परावि/पी.सी/नि.रा.यो./2012-13/1503
जयपुर दिनांक 9.10.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा प्रासंगिक पत्र जारी किया गया है। प्रासंगिक पत्र में ग्रामों में आन्तरिक सड़को के निर्माण कार्य सीमेंट कंक्रीट ग्री-कास्ट इन्टर लॉकिंग ब्लॉक, पत्थर/ईट खरन्जा के माध्यम से कराये जाने का जिक्र किया गया है। अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ग्रामों में आन्तरिक सड़को के निर्माण कार्य में सीमेंट कंक्रीट की ग्री-कास्ट इन्टर लॉकिंग ब्लॉक/टाईल का ही उपयोग किया जाना है।

सीमेंट कंक्रीट ग्री-कास्ट इन्टर लॉकिंग ब्लॉक द्वारा आन्तरिक सड़को के निर्माण बाबत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3, नरेगा) द्वारा जारी विभागीय निर्देश क्रमांक एफ 40(18)ग्रा.वि./नरेगा/तक. प्रक./पार्ट-2/2010 जयपुर, दिनांक: 4.01.2012 में दिये गये तकनीकी निर्देश का अनुसरण करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य विभाग द्वारा दिनांक 21.9.2012 को जारी परिपत्र के अनुसार निविदा आमंत्रित करके भी कराये जा सकते हैं।


शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
6. सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग, चतुर्थ, राज. जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(आर्थिक मामलात) विभाग, राज. जयपुर।
8. जिला कलेक्टर समस्त।
9. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय।
10. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
11. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद समस्त।
12. सहायक अभियन्ता, जिला परिषद समस्त।
13. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त।


शासन सचिव एवं आयुक्त